फटाफट खबरें

फंदे से लटके मिले महिला और दो युवकों के शव

■ **NBT न्यूज, बाराबंकी:** बीते 24 घंटों में अलग-अलग जगह एक महिला और दो युवकों के शव फंदे से लटके हुए मिले। मसौली थानाक्षेत्र के मूंजापुर निवासी लवकुशा यादव(40) का शव आम की बाग के पेड़ से गमछे के सहारे लटका मिला। वही, कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के बरावां निवासी लवकुश यादव (23) का शव शुक्रवार सुबह उसके कमरे के छत के छल्ले से जुड़े के सहारे साड़ी से लटका मिला। छह माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। हैदरगढ़ के असारी तकिया के हलीम सैयद की पत्नी सकीना (22) का शव गुरुवार को अपने घर के कमरे में दुपट्टे के सहारे छत के पंखे से लटका मिला।

न्यूनतम 18 हजार मानदेय के लिए उठाई आवाज

■ **NBT न्यूज, बाराबंकी:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के तहत जिले में कार्यरत सविदा कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के दूसरे दिन शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। करीब 1200 सविदा कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखा। जिलाध्यक्ष रामधारा सिंह व महामंत्री डॉक्टर रईस खान ने कम से कम 18 हजार मानदेय, पदोन्नति के अवसर व 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने की मांग उठाई। इस दौरान डॉ.ज्ञानेंद्र भारती, अमरबीर द्विवेदी व डॉ.जावेद हसन बेग मौजूद रहे।

मूर्ति विसर्जन स्थल का DM ने किया निरीक्षण

■ **NBT न्यूज, अयोध्या:** सरयू घाट स्थित निर्मली कुंड मूर्ति विसर्जन स्थल का डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी ने निरीक्षण किया। दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के मद्देनजर अधिकारियों ने सुरक्षा, पार्किंग, मार्ग दुरुस्तीकरण और बैरिकेडिंग की व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए। डीएम ने घाट पर गोताखोरों की तैनाती और जल सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त रखने को कहा। उन्होंने दुर्गापूजा, दशहरा समेत अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए तैयारियां रखने को कहा।

वॉलिबॉल: देव इंद्रावती महाविद्यालय चैंपियन

■ **NBT न्यूज, अयोध्या:** डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की अंतर्महाविद्यालयी महिला वॉलिबॉल प्रतियोगिता में देव इंद्रावती महाविद्यालय, कटेहरी (अंबेडकर नगर) की टीम चैंपियन बनी। फाइनल में विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में 12 महाविद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। समापन पर कुलपति डॉ. विजेंद्र सिंह ने खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना को प्रतिभा के सर्वांगीण विकास का आधार बताया। उन्होंने आधुनिक एथलेटिक ट्रैक और स्पोर्ट्स ग्राउंड विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

'ड्यूटी पर आरोप लगे तो FIR से पहले जांच जरूरी'

HC ने कहा-आदेश देने से पहले पक्ष जानें अदालतें

■ **NBT रिपोर्ट, प्रयागराज :** इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महराजगंज की सिंधोल एससी/एसटी अदालत का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल और करीब 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति संतोष राय ने राकेश कुमार यादव की आपराधिक अपील पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को एफआईआर के आदेश से पहले पुलिस का पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।

महराजगंज के घुघली के बसंतपुर गांव की शीला और अंजू ने आरोप लगाया था कि 6-7 जून की रात सब-इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव, कॉन्स्टेबल अमित कुमार और करीब 20 पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिसकर्मियों और तलाशी वॉरंट के उनके घर में घुसे। महिलाओं ने अभद्रता, शौचालय जाने से रोकने और जातिसूचक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि 12 जून को एसपी से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। विशेष अदालत ने 11 अगस्त को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

पुलिस की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया

अपीलकर्ता पुलिसकर्मियों का कहना था कि वे उसी दिन हुए विवाद के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी पर थे। घटना से जुड़े दो क्रॉस केस पहले ही दर्ज हो चुके थे और उनमें आरोपपत्र दाखिल हो चुका था। उन्होंने नई शिकायत को जवाबी कार्रवाई बताया। कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 173(4) पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत का उपाय देती है, जबकि जांच का न्यायिक निर्देश देने की शक्ति धारा 175(3) में है। केवल अर्जी को धारा 173(4) के तहत दाखिल करने से विशेष अदालत को एफआईआर का आदेश देने का अधिकार नहीं मिल जाता।

अतिरिक्त सावधानी की जरूरत

कोर्ट के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जांच जरूरी क्यों नहीं थी और अदालत की ओर से मंगाई गई पुलिस रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया। कोर्ट ने गिरफ्तारी और जनरल डायरी (जीडी) एंट्री को पुलिस की मौजूदगी और ड्यूटी के बीच प्रथम दृष्टया संबंध का संकेत माना। शिकायतकर्ता के परिवार और पुलिसकर्मियों से जुड़े पुराने मुकदमों को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत भी बताई। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आदेश स्पष्ट और तर्कसंगत होना चाहिए। जांच को 'मिनी ट्रायल' नहीं बनाया जाए। कोर्ट ने 11 अगस्त का आदेश और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही रद्द कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को मासिक बैठकों में निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने को कहा गया है। फैसले की प्रति न्यायिक अधिकारियों, जेटीआरआई (लखनऊ), जिलाधिकारियों, एसएसपी/एसपी और पुलिस आयुक्तों को भेजी जाएगी।

डमी स्कूल में फर्जी दाखिलों की जांच के आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के कथित डमी स्कूल में छात्रों के फर्जी दाखिले के आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने अनूप हुजैफा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी बताया। याचिकाकर्ता का दावा है कि बिना पढ़े और फीस दिए शाहना इंटरनैशनल स्कूल में उनका नाम सीबीएसई की कक्षा 11 की सूची में दर्ज है। कोर्ट ने आपत्तिजनक हीरा पब्लिक स्कूल और उससे जुड़ी कोचिंग की जांच रिपोर्ट दो नवंबर 2026 तक मांगी है।

खून के लिए वसूले 9 हजार, अस्पताल को राहत नहीं

प्रयागराज: ब्लड कैंसर से पीड़ित दो माह के बच्चे को खून की दो यूनिट चढ़ाने के लिए नौ हजार रुपये वसूलने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निजी अस्पताल की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने आयुष्मान भारत योजना से अस्पताल का पंजीकरण समाप्त करने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि खून चढ़ाने की प्रक्रिया का विवरण बेड हेड टिकट में दर्ज नहीं था, जो गंभीर कमी है।

'नाम बदलने वाले सीएम को जनता बदलने जा रही'

■ **NBT न्यूज, वाराणसी :** सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बलिया पहुंचकर दिवंगत सपा नेता राम गोविंद चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। नोएडा इंटरनैशनल एयरपोर्ट (जेवर) नाम बदलने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री को अब जनता बदलने जा रही है। नाम बदला जाता है तो किसी की याद में रखा जाता है। उन्हें भरोसा ही नहीं है कि उनका नाम कोई याद रखेगा।

अखिलेश ने कहा कि सत्ता पक्ष वाले होगी है। इनके राज में अयोध्या में गमधन (चढ़ावे) की चोरी हो गई। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी।

रेलवे की मेंटनेंस मशीन डिरेल, साढ़े चार घंटे बाधित रहा ट्रैफिक

■ **NBT न्यूज, रायबरेली:** लखनऊ-प्रयागराज रेलखंड पर शुक्रवार दोपहर कुंदनगंज के पास रेलवे की लाइन मेंटेनेंस मशीन (बीसीएम) के दो पहिये पटरी से उतर गए। दोपहर 2:40 बजे हुए हादसे से डाउन लाइन पर यातायात बाधित हो गया। लखनऊ से दुर्घटना राहत यान करीब दो घंटे बाद पहुंचा। एक घंटे की मशक्कत के बाद मशीन पटरी पर चढ़ाई गई। करीब साढ़े चार घंटे बाद यातायात सामान्य हुआ। इस दौरान कई ट्रेनें अप लाइन से निकाली गईं।

पंजाब मेल में पानी के लिए तरसे यात्री

अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल बछरावां स्टेशन पर दोपहर करीब दो बजे पहुंची और शाम छह बजे तक खड़ी रही। यात्रियों ने पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने की शिकायत की। वहीं, प्रयागराज-लखनऊ वंदे भारत कुंदनगंज स्टेशन पर करीब एक घंटे रुकी। लखनऊ-बनारस एक्सप्रेस को भी लगभग डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा। ट्रैफिक दुरुस्त होने के बाद वंदे भारत शाम 6:08 बजे बछरावां पार कर रवाना हुई।

अमेठी में दो बाइकों की टक्कर, तीन युवकों की मौत

■ **NBT न्यूज, अमेठी:** गौरीगंज-रायबरेली मार्ग पर बनी रेलवे स्टेशन से पहले शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रोहित रावत (18), अंकित रावत (22) और शुभम कुमार पासी (22) के रूप में हुई है। रोहित और अंकित रायबरेली के निवासी थे, जबकि शुभम अमेठी के गौरीगंज का रहने वाला था। पुलिस ने शवों के पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रायबरेली के दोनों युवक किसी काम से अमेठी के गौरीगंज आए थे और शाम को अपने घर रायबरेली वापस लौट रहे थे, तभी दुर्घटना हो गई।

आईआईटी की बर्खास्त प्रफेसर की पुनर्बहाली की मांग

■ **NBT रिपोर्ट, कानपुर :** अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की उत्तर प्रदेश इकाई ने आईआईटी कानपुर से बर्खास्त सहायक प्रफेसर अन्वेषणा श्रीवास्तव को 10 दिनों में दोबारा बहाल करने की मांग की है। संस्थान के निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 19 महीने के कार्यकाल में प्रफेसर को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके उलट तीन बार प्रोत्साहन पत्र दिया गया। आरोप लगाया कि डॉ. अन्वेषणा को निदेशक से मिलने का समय नहीं दिया गया। शिक्षक नेता डॉ शैलेंद्र द्विवेदी ने कहा कि परिवीक्षा काल खत्म होने के 7 महीने बाद प्रफेसर को सीधे बर्खास्त कर दिया गया। बिना नोटिस बर्खास्तगी निंदनीय और खेदजनक है। बहाली न होने की स्थिति में संगठन आंदोलन करेगा।

कुछ महीने पहले अन्वेषणा ने पति प्रफेसर निशीथ के खिलाफ घरेलू हिंसा की FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद 17 सितंबर को आईआईटी प्रशासन ने अन्वेषणा को बर्खास्त कर दिया था।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला
गृह विभाग: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
मधुबन चौक, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085
दूरभाष: 011-27555811, फैक्स: 011-27555890

इंटर्नशिप सूचना

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को विभिन्न प्रभागों में एक वर्ष की अवधि के लिए "मानदेय के आधार" पर इंटर्न के 75 सीटों को भरने हेतु पात्र नए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

वे अभ्यर्थी, जो पहले ही FSL, Delhi में भुगतान-आधारित इंटर्न के रूप में कार्य कर चुके हैं, आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23.10.2026 को शाम 05.00 बजे तक है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट देखें: **fsl.delhi.gov.in** अथवा **Delhi.gov.in**

DIP/Shabdarth/Classified/0249/26-27

प्रधान निदेशक: FSL

बॉम्बे मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
173 / 15, ग्राउंड फ्लोर, डा0 वी.एव. वर्मा रोड, लखनऊ-226001,मो0 7086047770 (शेड्यूल्ड बैंक)
Email: nagendra.malviya@bmcbank.co.in/ Visit us at: bmcbankltd.com

कब्जा नोटिस (नियम 8(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, जोकि **बॉम्बे मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी है, **द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (2002 की संo 54) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग** में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ऋणियों को मांग नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुसार मांग नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित धनराशि का भुगतान बैंक को करने की सूचना ऋणियों/जमानतकर्ता को दी गई थी। **ऋणियों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ऋणियों/उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दी गई सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के भोगन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की उपधाराओं की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों / जमानतकर्ताओं धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों और ओर से आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों** को विशेष रूप से व उन साधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा विषयगत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और इस **सम्बन्ध में किया गया कोई भी संव्यवहार बॉम्बे मर्कन्टाइल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड** के अधीनार्थित प्रभारों व देय ब्याज / खर्चों के अधीन होगा।

क्र संo	उधारकर्ता / बंधककर्ता / खाता सं०/ जमानतकर्ता का नाम	प्रभारित / बंधक की गई परिसम्पत्ति (परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित) विवरणी	a)मांग नोटिस की तिथि (b)सांकेतिक कब्जा की तिथि (c) बकाया शेष
1.	1. श्रीमती निधा रिजवी, पत्नी स्वर्गीय आरिफ हुसैन (मृतक) (बंधककर्ता / उधारकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी) मकान नंबर 182 / 58, मशक गंज, लल्लू मल मंदिर के पास, लखनऊ–226018 2. स्वर्गीय श्री आरिफ हुसैन (मृतक) (उधारकर्ता / बंधक) के सभी कानूनी वारिस, मकान नंबर 182 / 58, मशक गंज, लल्लू मल मंदिर के पास, लखनऊ–226018 3. श्री आसिफ हुसैन, पुत्र चुन्ना हुसैन, (एलेक्सी ओडी में जमानतकर्ता) 182 / 58, मशक गंज, लल्लू मल मंदिर के पास, लखनऊ–226018 4. श्री अब्बास हुसैन, पुत्र फारुख हुसैन (हाउसिंग लोन में जमानतकर्ता) मकान नंबर 182/ 47, मशक गंज लखनऊ–226018	सभी भाग एवं हिस्सो सहित सास्मिक बंधक सम्पत्ति मशकगंज, लखनऊ में स्थित प्रॉपटी (जिसका मकान नंबर 182 / 58 है और साइज 755.62 वर्ग फीट यानी 70.224 वर्ग मीटर है) का इक्विटेबल मॉर्गेज। यह प्रॉपटी स्वर्गीय आरिफ हुसैन पुत्र श्री आफाक हुसैन की थी। इसका रजिस्ट्रेशन सब–रजिस्ट्रार II, लखनऊ के सामने 22.02.2003 को सेल डीड (बिही पिलेख) के जरिए हुआ था (बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 3970, पेज 213 से 236, सीरियल नंबर 1811)। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं– पूर्वहद्दी– पूर्व– गली 5 फीट चौड़ी, पश्चिम– श्री राकेश तिवारी का मकान, उत्तर– शहीद हुसैन का मकान, दक्षिण– सड़क 20 फीट चौड़ी	05.08.2026 08.10.2026 रु. 38,76,643.00 आज दिनांक 31.07.2026 तक से प्रभारी एवं अन्य खर्चे

दिनांक 08.10.2026
स्थान: लखनऊ

(नागेंद्र कुमार मालवीय)
प्राधिकृत अधिकारी
बॉम्बे मर्कन्टाइल को.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

*सांकेतिक कब्जा

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक,
मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
दूरभाष नं.: 41080416, 41080417

भर्ती सूचना

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से निम्नलिखित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है, जिसका विवरण प्रत्येक पद के सामने दिया गया है:-

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर (7वां CPC)	वेतनमान	नियुक्ति का माध्यम
1	सलाहकार (वित्त)	1	लेवल –13	₹1,23,100–2,15,900	संविदा
2	कनिष्ठ विधि अधिकारी	2	लेवल –8	₹47600-151100	संविदा
3	निजी सचिव	1	लेवल –8	₹47600-151100	प्रतिनियुक्ति/संविदा
4	निजी सहायक	4	लेवल –7	₹44900-142400	प्रतिनियुक्ति/संविदा
5	आशुलिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	4	लेवल –7	₹44900-142400	प्रतिनियुक्ति/ संविदा
6	लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	3	लेवल -4	₹25500-81100	प्रतिनियुक्ति/ संविदा
7	अवर श्रेणी लिपिक	1	लेवल -2	₹19900-63200	प्रतिनियुक्ति/ संविदा

पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा नियुक्ति की अन्य नियम एवं शर्तों, जिसमें पारिश्रमिक, सुविधाएँ आदि भी शामिल हैं, के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) की वेबसाइट www.derc.gov.in पर उपलब्ध "लिंक" https://www.derc.gov.in/regulations/management-and-development-human-resources-regulations देखें, और आवेदन भेजने के लिए "लिंक" पर जाएँ :- https://www.derc.gov.in/app/home/openings

आवेदन भेजने की अंतिम तिथि: 10.11.2026 हैं।

(प्रशस्ति डे)
(उप निदेशक (कार्मिक)
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

DIP/Shabdarth/Classified/0246/26-27.

SBI भारतीय स्टेट बैंक
शाखा: सप्रू मार्ग (20636), लखनऊ
ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी की तिथि व समय : 27.10.2026, प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक 5 मिनट की असीमित विस्तार के साथ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम *2002/ SOP* नोटिस के तहत बैंक द्वारा बंधक चल सम्पत्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक, सप्रू मार्ग, लखनऊ के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4)/SOP नोटिस के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सामूहिक रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि **बैंक की देय** वसूली के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की **ई-नीलामी (सरफेसी अधिनियम-2002** के अंतर्गत) **'जहाँ है जैसे है"** एवं **"जो है जैसा है"** के आधार पर की जायेगी।

क्र. सं.	ऋणी का नाम एवं पता / खाता संख्या / शाखा	बंधक चल सम्पत्तियों का विवरण	धारा 13(2) /SOP नोटिस मांग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि	मांग सूचना की तिथि u/s 13(2) /SOP नोटिस 1 कब्जा सूचना की तिथि u/s 13(4) /SOP नोटिस 2	आरक्षित राशि धरोहर राशि (बोली वृद्धि धनराशि)
1	**ऋणी का नाम: विमलेंदु सिंह,** 132 सैनिक नगर तेलीबाग लखनऊ 226002 **खाता सं :** 39013547870 **शाखा:** सप्रू मार्ग (20636)	**Vehicle Regn. No.:** UP32-LE-7038 **Asset/Vehicle Make:** HYUNDAI CRETA **ENGINE No.:** D4FCKM915560 **CHASIS No.:** MALC181RLKM643683	₹ 6,10,729.00 दिनांक 20.04.2026 तक + ब्याज व अन्य खर्चे	20.04.2026 11.09.2026	₹ 5,80,000/- ₹ 58,000/- ₹ 5,000/-

नियम एवं शर्तें:
- बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **26.10.2026 सायं 05:00 बजे** तक है।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षित मूल्य का **10%** बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, सप्रू मार्ग, लखनऊ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करें।
- सफल बोलीदाता को बिक्री के अपने पक्ष में होने पर बोली राशि का **25%** (ईएमडी सहित) तत्काल जमा करना होगा तथा शेष **75%** राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी।
- ईएमडी राशि के भुगतान के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को भुगतान विवरण के साथ केवाईसी दस्तावेजों की एक प्रति भारतीय स्टेट बैंक, सप्रू मार्ग, लखनऊ को स्वयं या ईमेल द्वारा जमा करनी होगी।
- सफल बोलीदाता को वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए देय शुल्क/फीस का भुगतान करना होगा।
- बैंक के पास बिना कोई कारण बताए नीलामी के किसी भी नियम और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री मूल्य के अलावा जीएसटी सहित सभी लागू करों का भुगतान सफल बोलीदाता को करना होगा।
- बिक्री एवं पंजीकरण की विस्तृत शर्तों के लिए भारतीय स्टेट बैंक सप्रू मार्ग, लखनऊ से संपर्क करें। सुरक्षित लेनदार की दी गई विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट देखें- **www.c1india.com, ई-मेल : mithalesh.kumar@c1india.com**

दिनांक : **10.10.2026** स्थान : लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

SBI भारतीय स्टेट बैंक
आर.ए.सी.पी.सी.- सेक्टर डी, किकट राम राम बैंक बौराहा, अलीगंज लखनऊ
ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी की तिथि व समय : 27.10.2026, प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक 5 मिनट की असीमित विस्तार के साथ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम *2002/ SOP* नोटिस के तहत बैंक द्वारा बंधक चल सम्पत्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी, लखनऊ के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4)/SOP नोटिस के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सामूहिक रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि **बैंक की देय** वसूली के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की **ई-नीलामी (सरफेसी अधिनियम-2002** के अंतर्गत) **'जहाँ है जैसे है"** एवं **"जो है जैसा है"** के आधार पर की जायेगी।

क्र. सं.	ऋणी का नाम एवं पता / खाता संख्या / शाखा	बंधक चल सम्पत्तियों का विवरण	धारा 13(2) /SOP नोटिस मांग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि	मांग सूचना की तिथि u/s 13(2) /SOP नोटिस 1 कब्जा सूचना की तिथि u/s 13(4) /SOP नोटिस 2	आरक्षित राशि धरोहर राशि (बोली वृद्धि धनराशि)
1	**ऋणी: सुश्री सीरत फातिमा जैदी,** मोहल्ला-काजीपुरा, खराइच- 271801। **खाता सं:** 39092007691 **शाखा:** एएनबीएल, अलीगंज, लखनऊ (04428)	**Vehicle Regn. No.:** UP32LC9729 **Asset/Vehicle Make:** TATA TIGOR XM (O) **ENGINE No.:** 1.05LCRO2DRYW12148 **CHASIS No.:** MAT629127KKD35077	₹ 4,76,195.93 + ब्याज व अन्य खर्चे	10.08.2026 10.09.2026	₹ 2,30,000/- ₹ 23,000/- ₹ 5,000/-
2	**ऋणी: श्री संदीप कुमार** ग्राम–डिलौली, पोस्ट–लक्ष्मीगंज, इटौरा बुजुर्ग, रायबरेली–229401 **खाता सं:** 42708482829 **शाखा:** जानकीपुरम (10342)	**Vehicle Regn. No.:** UP32PH3376 **Asset/Vehicle Make:** TATA TIAGO XT 1.2 RTN BS6 2024 **ENGINE No.:** REVTRN19BVXK17861 **CHASIS No.:** MAT626005RKB12080	₹5,14,509.00 + ब्याज व अन्य खर्चे	-	₹ 3,35,000/- ₹ 33,500/- ₹ 5,000/-
3	**ऋणी: श्री महेंद्र कुमार पांडेय,** 555, KHA/016/3, भोला खेड़ा, मानस नगर, लखनऊ-226023 **खाता सं:** 36977700652 **शाखा:** चेनेटा, सचीवी, लखनऊ (08351)	**Vehicle Regn. No.:** UP32HN9018 **Asset/Vehicle Make:** TATA INDIGO ECS GLS 2017 **ENGINE No.:** 475SI72CSYP04434 **CHASIS No.:** MAT601636HPC10733	₹ 1,31,804.00 + ब्याज व अन्य खर्चे	17.02.2024 08.07.2025	₹ 55,000/- ₹ 5,500/- ₹ 5,000/-

नियम एवं शर्तें:
- बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.10.2026 **सायं 05:00 बजे** तक है।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षित मूल्य का **10%** बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी, अलीगंज, लखनऊ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करें।
- सफल बोलीदाता को बिक्री के अपने पक्ष में होने पर बोली राशि का **25%** (ईएमडी सहित) तत्काल जमा करना होगा तथा शेष **75%** राशि बिक्री की पुष्टि के **15** दिनों के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी।
- ईएमडी राशि के भुगतान के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को भुगतान विवरण के साथ केवाईसी दस्तावेजों की एक प्रति भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी, अलीगंज, लखनऊ को स्वयं या ईमेल द्वारा जमा करनी होगी।
- सफल बोलीदाता को वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए देय शुल्क/फीस का भुगतान करना होगा।
- बैंक के पास बिना कोई कारण बताए नीलामी के किसी भी नियम और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री मूल्य के अलावा जीएसटी सहित सभी लागू करों का भुगतान सफल बोलीदाता को करना होगा।
- बिक्री एवं पंजीकरण की विस्तृत शर्तों के लिए भारतीय स्टेट बैंक आरएसीपीसी, लखनऊ से संपर्क करें। सुरक्षित लेनदार की दी गई विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट देखें- **www.c1india.com, ई-मेल : mithalesh.kumar@c1india.com**

दिनांक : **10.10.2026** स्थान : लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक